

5-2-26 अग्रिम, ठीकीदार अर्थात्
पुनर्प्राप्ति वाले उचित आदेश राजीनामा
हलु केनां 17-2-26 को देय हो

अपर जिला एवं सेशन न्यायालय
संख्या-3 अजमेर